

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

लिए प्रोफोर्मा बगैरह जो है उसके लिए एग्जैम्प्ट नहीं किया है। वैसे जो कानून है जहां अकाउंटबिलिटी है पब्लिक फण्ड को उनको एग्जैम्प्ट नहीं किया है। इसके अलावा खाम तौर पर एतिहास वरती गई है पेमेंट आफ वेजेंज एक्ट 1948 के अन्तर्गत जो 1951 के बल्ज है उनके मुताबिक वेजेंज स्लिप देनी है वह अवश्य दी जाए। इसी तरह से पोस रेटिड वर्कर्स के लिए जो माइस एक्ट के अन्तर्गत कलज है उनके मुताबिक वेजेंज स्लिप दी जाती है वह दी जाए इस बात को इन्फोर किया जाए। इन सारी बातों को एतिहास रखी गई है। मैंने तो सोचा था सभी लोग इसका स्वागत करेंगे और इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिलेगी। स्माल इंडस्ट्रीज को मदद करने के और जो भी तरीके हैं वह भी किये जा रहे हैं उनकी अन्तर्सेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट पड़ता है ओवर-हेड कास्ट पड़ता है उसमें बचाया जाए और बहुत से सारे प्रोफोर्मा भरने के लिए रजिस्टर मेन्टेन करने के लिए बहुत सारी हेरासमेंट जो माननीय सदस्यों ने प्वाइंट आऊट की हैं उस हेरासमेंट से बचाया जाए वही इस बिल का मकसद है। मैंने समझा था कि सभी लोग इसका स्वागत करेंगे लेकिन जिन लोगों ने इसमें जो मजदूर विरोधी बात देखी ली और मालिक की हिमायत की देख ली वह सिर्फ उनकी दृष्टि का दोष हो सकता है। उसके लिए मैं और कुछ कहने को लाचार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि स बिल को स्वीकार किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA):
The question is:

"That the Bill to provide for the exemption of employers in relation to establishments employing a small number of persons from furnishing returns and maintaining registers under certain labour laws, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 8, the First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BINDESHWARI DUBEY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

Appropriation (No. 4) Bill, 1988

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (No. 4) Bill, 1988, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 23rd August, 1988.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अब हम उठते हैं और सोमवार 29 अगस्त को सुबह 11 बजे फिर मिलेंगे।

The House then adjourned at thirty-seven minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Monday, the 29th August, 1988.